Regarding amendments in SDRF norms in Rajasthan-laid

श्री हनुमान बेनीवाल **(**नागौर**) :** मैं माननीय गृह मंत्री जी को अवगत करवाना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार द्वारा सीवरेज सिस्टम की पुनस्थार्पन मरम्मत को एसडीआरएफ मानदण्डो में शामिल करने, SDRF नॉर्म्स में गौशालाओं को पशु शिविर के रूप में शामिल करने ताकि सूखे के दौरान गायों तथा अन्य पशुओं पर चारे,पानी का संकट नहीं आये, हॉर्टिकल्चर क्रॉप संतरा, कीनू व क्रेश क्रॉप जैसे जीरा,इसबगोल आदि जिनकी प्रारम्भिक लागत बहुत अधिक है उनके लिए कृषि आदान-अनुदान में वृद्धि करने तथा राजस्थान के परिपेक्ष्य में कृषि आदान -अनुदान की अधिकतम सीमा 2 हैक्टेयर से बढ़ाकर 5 हैक्टेयर करने व सूखा विकास कार्यक्रम जिलों के 5 हैक्टेयर भू-धारिता वाले किसानों को लघु एवं सीमांत किसान की श्रेणी में शामिल करने, आपदा के समय पशुओं की वास्तविक क्षति के आधार पर सहायता देने का प्रावधान बनाने क्योंकि राजस्थान में पशुपालन ग्रामीण जनसँख्या की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है साथ ही प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर लघु व सीमांत किसानों को अधिकतम 2 हैक्टेयर भूमि की सीमा के स्थान पर वास्तविक कृषि जोत के आधार पर सहायता राशि देने हेतु नियमो में संसोधन के प्रस्ताव काफी समय से लंबित है इसलिए जनहित में आवश्यक संसोधन करके राहत प्रदान करावे ताकि नुकसान की वास्तविक भरपाई हो सके ।